

बिहार सरकार

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

स०-४/आ० वि० (संघा०)- ०१-०३/२०१७-

180

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार (भा० प्र० से०)  
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
सासाराम।

पटना, दिनांक- 29.03.18

**विषय:** वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय, नागाटोली, सासाराम में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में 22,90,825/- (बाइस लाख नब्बे हजार आठ सौ पच्चीस रुपये मात्र) रुपये का अतिरिक्त आबंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित 15 अनु० जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन एवं भत्ते मद में विभागीय आवंटनादेश संख्या-19, दिनांक-06.06.2017 द्वारा पूरे वर्ष के लिए राशि आबंटित की गई है।

2- जिला कल्याण पदाधिकारी, सासाराम के पत्रांक-1576 दिनांक-21.12.2017 द्वारा राजकीय अनु० जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय, नागाटोली, सासाराम में सृजित स्थायी पदों के लिए अतिरिक्त आबंटन की माँग के आलोक में उपलब्ध बजट उपबंध (वेतन एवं अन्य भत्ते मद में) के अनुसार 22,90,825/- (बाइस लाख नब्बे हजार आठ सौ पच्चीस रुपये मात्र) की राशि पूरे वर्ष के लिए आबंटित जाती है।

3- कुल भारत व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय व्यय शीर्ष माँग सं०-44-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-277-शिक्षा-0004-आवासीय विद्यालय-कूट सं०-0004.01.01-वेतन, 0004.01.03-जीवन यापन भत्ता, 0004.01.04-मकान किराया भत्ता, 0004.01.06 चिकित्सा भत्ता, विपत्र कोड सं०-44- 2225022770004 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

4- इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, सासाराम होंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- वित्त विभाग के पत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-एम०-०४-०५/- 98-2607 वि(2) दिनांक-20.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6- जिला विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा, उन्हीं विद्यालयों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों से संतुष्ट होने के पश्चात संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजा जायेगा।

7- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा साथ करेंगे।

8- आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10- कृपयापत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वसभाजन,  
(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक  
al

ज्ञापांक- 4/आ0 वि0 (संघा0)- 01-03/2017- 180 पटना, दिनांक - 29.03.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) /सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/ उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक  
29/3/18